भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1088

उत्तर देने की तारीख-10/02/2025

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और छात्राओं के नामांकन में गिरावट

1088. **श्री अभय कुमार सिन्हा:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार सभी को समान शिक्षा का सपना कब तक पूरा करेगी;
(ख) क्या वर्ष 2023-24 में स्कूलों में प्रवेश की संख्या में लगभग 37 लाख की कमी आई है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;
(ग) क्या यह गिरावट अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और छात्राओं के बीच सबसे अधिक है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार द्वारा स्कूलों में प्रवेश में कमी, शिक्षकों की कमी को दूर करने और स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं में सुधार करने के लिए कोई कार्रवाई की गई है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) : एनईपी, 2020 सभी के लिए पहुंच और समावेशिता सुनिश्चित करने पर आधारित है और इसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक पूर्व-प्राथमिक से माध्यमिक स्तर तक 100% सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) प्राप्त करना है। केंद्र सरकार, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को समग्र शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना, जो एनईपी 2020 के भी अनुरुप है, के माध्यम से सहायता प्रदान करती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी बच्चों को एक समान और समावेशी कक्षा के माहौल के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो, जिसमें उनकी विविध पृष्ठभूमि, बहुभाषी आवश्यकताओं, विभिन्न शैक्षणिक क्षमताओं का ध्यान रखा जाए और उन्हें अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाया जाए।

(ख) : स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (डीओएसईएल), शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उपलब्ध कराए गए स्कूली शिक्षा के संकेतकों संबंधी डेटा को रिकॉर्ड करने हेतु शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली प्लस (यूडाइज+) विकसित की है। वर्ष 2022-23 से, यूडाइज+ व्यक्तिगत छात्रवार डेटा एकत्र करता है और छात्र रजिस्ट्री बनाई है। यूडाइज+ के अनुसार, वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिए कुल नामांकन (पूर्व-प्राथमिक से उच्चतर माध्यमिक तक) क्रमशः 25,17,91,722 और 24,80,45,828 है।

(ग) : यूडाइज+ के अनुसार, वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों और लड़कियों का कुल नामांकन (प्राथमिक से उच्चतर माध्यमिक) निम्नानुसार है:

नामांकन (प्राथमिक से उच्च माध्यमिक तक)	2022-23	2023-24
अनुसूचित जातियां	4,44,25,208	4,28,01,577
अनुसूचित जनजातियां	2,39,56,131	2,34,41,706
अन्य पिछड़ा वर्ग	11,04,03,611	10,65,50,283
लड़कियां	11,62,09,112	11,32,48,084

(घ) और (ङ) : शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है और अधिकांश स्कूल संबंधित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। समग्र शिक्षा की केन्द्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत सरकारी स्कूलों में नामांकन में सुधार लाने के लिए विभिन्न गतिविधियों हेतु राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक नए स्कूलों को खोलना/सुदृढ़ करना, स्कूल की अवसंरचना को सुदृढ़ करना, कक्षा 12 तक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (केजीबीवी) की स्थापना, उन्नयन और संचालन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय नामक आवासीय विद्यालयों/छात्रावासों की स्थापना, परिवहन भत्ता, नामांकन अभियान चलाना, मौसम अनुरूप छात्रावास/आवासीय शिविर, स्कूलों में व्यवसायपरक शिक्षा और आईसीटी सुविधाओं का प्रावधान आदि शामिल हैं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सहायक उपकरणों हेतु भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती एक सतत प्रक्रिया है क्योंकि सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र और बढ़ी हुई छात्र संख्या/नए स्कूलों से जनित अतिरिक्त आवश्यकताओं जैसे कारकों के कारण रिक्तियां उत्पन्न होती रहती हैं और शिक्षकों की भर्ती का दायित्व एक व्यापक प्रौद्योगिकी आधारित योजना और पूर्वानुमान अभ्यास के माध्यम से संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन पर होता है।

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग समय-समय पर समीक्षा बैठकों एवं परामर्श के माध्यम से राज्य सरकारों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों से इन रिक्तियों को भरने तथा उनकी उचित तैनाती का अनुरोध करता है।

इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार समग्र शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना के माध्यम से, समय-समय पर संशोधित निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 में निर्धारित मानदंडों के अनुसार, स्कूली शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर उपयुक्त छात्र-शिक्षक अनुपात (पीटीआर) बनाए रखने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

*****